

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 1823/2017
शाहरुख खान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक :

19.04.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री वी आर बाजवा तथा श्री आदित्य शर्मा, अधिवक्तागण— याची की ओर से।
श्री अलादीन खान, लोक अभियोजक।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण श्री वी आर बाजवा तथा श्री आदित्य शर्मा ने निवेदन किया है कि याची ने अगस्त क्रान्ति राजधानी एक्सप्रेस के 2ए कोच में जनसम्पर्क कार्यालय, पश्चिम रेलवे से दिनांक 23 जनवरी, 2017 को हिन्दी फीचर फिल्म “रईस” की शूटिंग/प्रमोशन के लिए 1,89,850/- रुपये जमा कराकर स्वीकृति प्राप्त कर ट्रेन में यात्रा की थी। अयाची संख्या-2 परिवादी ने बिना किसी आधार के मिथ्या तथ्यों के आधार पर मात्र प्रसिद्धि पाने के लिए झूठा परिवाद पेश किया है। उन्होंने निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से ही धारा 147, 149, 160, 427 तथा 120बी भा.दं.सं., 3पीडीपीपी एक्ट तथा 145, 146 रेलवे एक्ट का कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है। उन्होंने निवेदन किया है कि धारा 145, 146 रेलवे एक्ट के अपराध के लिए शिकायत सिर्फ रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों करने के लिए अधिकृत हैं, जबकि अयाची संख्या-2 परिवादी ना तो रेलवे का अधिकारी है और ना ही कर्मचारी है। इसी प्रकार राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की रिपोर्ट भी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी करने के लिए अधिकृत है। रेलवे की ओर से कोई शिकायत नहीं की गयी है। उन्होंने निवेदन किया है कि याची अभियुक्त एक फिल्म अभिनेता है, जिसे क्षति पहुंचाने के लिए दुर्भावनावश यह झूठा परिवाद पेश किया गया है। अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

सुना गया।

अयाचीगण को नोटिस जारी हो।

अयाची संख्या-1 का नोटिस लोक अभियोजक श्री अलादीन खान ने प्राप्त किया।

अयाची संख्या-2 परिवादी का नोटिस पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण को छः सप्ताह में वापिसी योग्य तामील हेतु जारी किया जावे।

प्रकरण छः सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे, तब तक याची के विरुद्ध कोई Coercive Step नहीं लिया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति